

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-01/2018-19

कृष्ण मोहन महतो एवं अन्यअपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू.....प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित																				
<p>03.08.18</p>	<p>अपीलार्थी-कृष्ण मोहन महतो, पिता-स्व० सहदेव महतो वो परमेश्वर महतो पिता-स्व० गुरुदयाल महतो एवं फागु राम महतो पिता-स्व० सहदेव महतो तीनों निवास ग्राम-हेठ बुढाडीह, डाकघर-बुढाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-73 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक-07/11/2017 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।</p> <table border="1" data-bbox="311 660 1356 840"> <thead> <tr> <th colspan="5">भूमि विवरणी</th> </tr> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>हेठबुढाडीह</td> <td>बुण्डू/0004</td> <td>85</td> <td>181</td> <td>35 डी०</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>182</td> <td>07 डी०</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलार्थियों एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया एवं उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। अपीलार्थियों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वर्णित भूमि खतियान में लखन दास एवं अन्य के नाम से दर्ज है। लखन दास अपने पीछे घासु दास को छोड़कर स्वर्गवास हो गए एवं घासु दास अपने पीछे दलगोविन्द दास को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। अपीलार्थियों ने उपरोक्त वर्णित भूमि विक्रेता दल गोविन्द दास पिता-स्व० घासु दास ग्राम हेठबुढाडीह थाना बुण्डू जिला राँची से निबंधन पट्टा सं०-23/23 दिनांक-20.01.2016 द्वारा क्रय किया गया है जिसका पेज नं०-391 से 444, बुक नं०-1, भोलुम नं०-20 है। अपीलार्थियों द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, बुण्डू में आवेदन दिया गया जिसका नामांतरण मुकदमा सं०-73 R27/2017-2018 है। अंचल अधिकारी, बुण्डू द्वारा पंजी। स्पष्ट नहीं होने का कारण बतलाकर नामांतरण अस्वीकृत किया गया।</p> <p>अपीलार्थियों द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-73 R27/2017-2018/बुण्डू में दिनांक-07/11/2017 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्व कर्मचारी ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि के विक्रेता पंजी। रैयत की पोता है। भूमि पर क्रेता का दखल है। भूमि गैरमजरूआ एवं आदिवासी खाते की नहीं है। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदित प्लॉट की जमाबंदी भौतिक पंजी।। में अस्पष्ट है। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत की गयी है। अपीलार्थियों द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि भौतिक पंजी।। में आवेदित प्लॉट की जमाबंदी अस्पष्ट होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि उक्त जमाबंदी सुधार हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर अपीलार्थियों के नाम से आवेदित भूमि का दाखिल खारिज कर शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p>	भूमि विवरणी					मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	हेठबुढाडीह	बुण्डू/0004	85	181	35 डी०				182	07 डी०	
भूमि विवरणी																						
मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा																		
हेठबुढाडीह	बुण्डू/0004	85	181	35 डी०																		
			182	07 डी०																		
<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p>	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p>																					